न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 324 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जुगताराम पुत्र उम्मेदाराम 2 आईदानराम पुत्र चंदाराम 3 खेमाराम 4 हरीराम पिसरान उम्मेदाराम जाति जाट निवासी बांकाणियों का वास, कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 गंगाराम 2 मुकनाराम पिसरान नारणाराम 3 लाखाराम पुत्र नौखाराम जाति जाट निवासी बाकाणियों का वास कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र कुमार रामावत, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 03।

आदेश

दिनांक 03/09/24

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बाकाणियों का वास पटवार क्षेत्र कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 713 / 246 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712 / 246 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716 / 246 रकबा 1.3355 हैक्टेयर, खसरा संख्या 714 / 246 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 715 / 246 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के मौजा बाकाणियों का वास पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 661 / 241 रकबा 3.5127 हैक्टेयर व खसरा संख्या 710 / 246 रकबा 1.7321 हैक्टेयर में से रास्ते से सडक मार्ग तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु 18 फीट चौड़े रास्ते की भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व / 251ए / 2023 / 1806 दिनांक 30.11.2023 द्वारा रास्ते हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बाकाणियों का वास पटवार क्षेत्र कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 713 / 246 रकवा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712 / 246 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716 / 246 रकबा 1.3355 हैक्टेयर, खसरा संख्या 714 / 246 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 715 / 246 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि से सड़क मार्ग तक जाने हेतु खसरा संख्या 661 / 241 में प्रस्तावित रास्तानुसार रास्ते की सहमति से तय करके मौके पर छीणों के टूकड़े रोपे गये थे, जो वर्तमान में मौजूद है खसरा संख्या 714 / 246,

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

713 / 246, 712 / 246 के खातेदारों ने रास्ता करवा दिया जिसका खसरा संख्या 719 / 246 है, जबकि गंगाराम वगैराह ने रास्ता करवाने से इन्कार कर दिया तथा डामर सडक पर गेट लगाकर रास्ता बन्द कर दिया। रास्ते के दोनों तरफ छीणों के टूकडे वर्तमान मे मौके पर मौजुद पाये गये। खसरा संख्या 710 / 246 में रोढे पर पक्का मकान बना हुआ होने से जहां रास्ता सम्भव नही है वहा खसरा संख्या 661 / 241 में से प्रस्तावित है। डामर सडक से न्यूनतम दूरी का रास्ता निम्नानुसार है:–

क्र स	खातेदार	ख.न.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई X चौडाई (मीटर में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा		प्रस्तावि क किस्म	प्रस्तावित मार्ग का रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गगाराम चौधरी पुत्र नारायणराम हिस्सा 1 / 2 जाति जाट सा. देह खातेदार मुकनाराम पुत्र नारायणराम हिस्सा 1 / 2 जाति जाट सा. देह खातेदार	661 / 241	3.5127	बा.दो.	162	$\frac{8+2}{2}$	गै.मु. रास्ता	0.0809 हैक्टेयर 0.10 बीघा
2	लाखाराम पुत्र चौखाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	710 / 246	1.7321	बा.दो.	108	$\frac{6+0}{2}$	गै.मु. रास्ता	0.0324 हैक्टेयर 0.04 बीघा

वकील अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 246 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 03 व अन्य की संयुक्त खातेदारी का में था जिसका बंटवाडा करने पर रास्ते प्रार्थीगण ने कार्य कराये थे तथा अप्रार्थी की ढाणी तक रास्ता छोड दिया था। उक्त रास्ते मौखिक आधार पर था तथा संलग्न नक्शा में अंकित अनुसार छोड दिया गया था। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत खसरा संख्या 661 / 241 व अप्रार्थी संख्या 03 के खेत खसरा संख्या 710 / 246 के मध्य कटान मार्ग निर्धारित किया गया था लेकिन उक्त रास्ते के मध्य अप्रार्थी संख्या 03 की ढाणी आने की वजह से अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त मौखिक रास्ते को निरस्त करते हुए खसरा संख्या 710 / 246 व 711 / 246 के मध्य से सी से डी संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार निर्धारित किया था। अप्रार्थी संख्या 03 के हिस्से में से जाने वाली भूमि को प्रार्थीगण के हिस्से में से दिलाई जावे। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में सी से डी की भूमि जो अप्रार्थीगण व उसके भाई के खेत खसरा संख्या 712 / 246 के मध्य आई हुई है जो भूमि सी से डी के मध्य दर्शाई गई है उस भूमि को ही कटान मार्ग के रूप में घोषित करवाने व ए से बी पूर्व में जो कटान मार्ग है उसमे सें अप्रार्थी संख्या 03 की ढाणी आने से निरस्त किया जावे व अप्रार्थी संख्या 03 के हिस्से में से जाने वाली भूमि को प्रार्थीगण के हिस्से में से दिलाई जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी [illegible] ण की रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खेत [illegible] क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर [illegible] / 246 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712 / 246 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, [illegible]सरा संख्या 716 / 246 रकबा 1.3355 हैक्टेयर, खसरा संख्या 714 / 246 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 715 / 246 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि से सड़क मार्ग तक जाने हेतु खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

661 / 241 मे प्रस्तावित रास्तानुसार रास्ते की सहमति से तय करके मौके पर छीणों के टूकडे रोपे गये थे, जो वर्तमान मे मौजूद है खसरा संख्या 714 / 246, 713 / 246, 712 / 246 के खातेदारों ने रास्ता करवा दिया जिसका खसरा संख्या 719 / 246 है, जबकि गगाराम वगैराह ने रास्ता करवाने से इन्कार कर दिया तथा डामर सडक पर गेट लगाकर रास्ता बन्द कर दिया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन अनुसार चौडाई 20 फीट अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बाकाणियों का वास पटवार क्षेत्र कुडला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 713 / 246 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712 / 246 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716 / 246 रकबा 1.3355 हैक्टेयर, खसरा संख्या 714 / 246 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 715 / 246 रकबा 1.1331 हैक्टेयर भूमि मे आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की भूमि में से सडक मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के मौजा बाकाणियों का वास पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 661 / 241 रकबा 3.5127 हैक्टेयर व खसरा संख्या 710 / 246 रकबा 1.7321 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अनुसार है, 20 फीट रास्ता निम्नानुसार दिया जाता है।

क्र.स.	खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई X चौड़ाई (मीटर में) प्रस्तावित मार्ग का रकबा		प्रस्तावि क किस्म	प्रस्तावित मार्ग का रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गगाराम चौधरी पुत्र नारायणराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार मुकनाराम पुत्र नारायणराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	661 / 241	3.5127	बा.दो.	162	$\frac{6+1}{2}$	गै.मु. रास्ता	0.0567 हैक्टेयर 0.07 बीघा
2	लाखाराम पुत्र चौखाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	710 / 246	1.7321	बा.दो.	108	$\frac{5+0}{2}$	गै.मु. रास्ता	0.0270 हैक्टेयर 0.03 बीघा

तहसीलदार बाडमेर उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी की दूगुनी राशि की गणना करें। प्रार्थीगण उक्त भूमि की दूगुनी राशि के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 03/09/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर